

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



UPRADESH

FZ 884335

श्री रमेश चन्द्र पाठक B/O श्री रामनमन पाठक निवासी 1/3
गोरामपुर, अकबरपुर, अमलेस्कुर नगर, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश
श्री कृष्णा देवी गैर न्यायिक एवं धर्मार्थ दस्तावेज



2023

2023

2023

2023

प्रारूप - अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेशी संस्थाओं को सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ - पत्र का प्रारूप

हम अर्चना पाठक एवं जयमेश चन्द पाठक क्रमशः
अध्यक्ष एवं सचिव.....
शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -



यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा श्री फुला देवी शैक्षिक परीक्षण महाविद्यालय
डिप्लोमा इन फार्मेशी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम (श्री फुला देवी शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, मीरानपुर, समवेत
170,177,169,173) में गाटा संख्या 4000, 2630, 2500, 1420
एवं 170,177,169,173 रकबा क्रमशः 1.0610 एवं हेक्टेयर (कुल
रकबा 1.0610 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,
और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 170,177,169,173
4000, 2630, 2500, 1420
रकबा क्रमशः 1.0610 एवं 1.0610 हेक्टेयर कुल रकबा 1.0610 हेक्टेयर)

पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेशी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी
/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 27-06-2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रुत डिप्लोमा फार्मेशी संस्थान के संचालन हेतु निर्माण का
निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया।

6. यह की, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर
निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण
हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेशी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के
नियमों के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेशी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा



8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।



9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / संबद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटनीतिक अथवा त्रुटीपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

ह० अध्यक्ष